बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना दिनांक 07-06-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2017–18 में कुल 936.64 लाख रूपये (नौ करोड़ छत्तीस लाख चौसठ हजार रूपये) की व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2017–18 में कुल 936.64 लाख रूपये (नौ करोड़ छत्तीस लाख चौसठ हजार रूपये) की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में खरीफ मौसम में धान की सामुदायिक नर्सरी तैयार किया जायेगा। नर्सरी में तैयार बिचड़ों को इच्छुक एवं जरूरतमंद कृषकों के बीच निःशुल्क वितरण (शत प्रतिशत अनुदान पर) किया जायेगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना, वर्ष 2017–18 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है,

क्र0 सं0	फसल	भौतिक लक्ष्य(एकड़ में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)			कुल वित्तीय (लाख रूपये में)
		नर्सरी (बिचड़ा)	रोपनी से आच्छादन	नर्सरी विकास	बिचड़ा क्रय/वितरण	आकस्मिकता व्यय (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धान	5340.00	53400.00	391.96	534.00	10.68	936.64

3. यह योजना वर्ष 2017–18 के खरीफ मौसम में कार्यान्वित किया जायेगा। उक्त योजना हेतु जिलावार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य हेतु अनुसूची–1 संलग्न है। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना अंतर्गत बिचड़ा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र के लिए अनुसूची–2 संलग्न है। धान बिचड़ा उत्पादक द्वारा बिचड़ा वितरण पंजी संधारण हेतु प्रपत्र अनुसूची–3 संलग्न है।

4. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के आधार पर की जायेगी। जिलावार/वर्गवार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है। धान की सामुदायिक नर्सरी पाँच–पाँच एकड़ के कलस्टर में कुल 5340 एकड़ में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषकों के खेत में विकसित किया जाएगा।

5. नर्सरी विकास हेतु उपादान मद में 7340.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय किया जाएगा तथा उपादान मॉडल निम्न प्रकार होगा :

क्र0 सं0	उपादान का नाम	मात्रा	अधिकतम अनुदान सहायता (रू0 में)
1	प्रमाणित धान बीज	120 कि0ग्रा0	3840.00
2	कम्पोस्ट	2.5 क्विंटल	1500.00
3	बीज उपचार/पौधा संरक्षण रसायन	आवश्यकतानुसार	500.00
4	सिंचाई	आवश्यकतानुसार	1500.00
कुल योग			**7340.00**

6. बीचड़ा वितरण मद में कृषकों द्वारा बीचड़ा क्रय के विरूद्ध प्रति एकड़ 10,000.00 (दस हजार रूपये) अर्थात एक एकड़ रोपनी हेतु बीचड़ा क्रय के विरूद्ध 1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति एकड़ के दर से राशि व्यय किया जाएगा।

7. नर्सरी विकास मद की अनुमान्य राशि संबंधित बीचड़ा उत्पादक कृषक को उपादान क्रय से संबंधित अभिलेख/अभिश्रव/विपत्र के उपस्थापन तथा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नर्सरी स्थल के सत्यापन के आधार पर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा देय होगा।

8. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना के प्रचार–प्रसार स्थल प्रदर्शन, अभिलेख संधारण आदि हेतु दो सौ रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रति पाँच एकड़ के नर्सरी स्थल के लिए 1,000.00 (एक हजार रूपये) अनुमान्य होगा।

9. बीचड़ा क्रय के विरूद्ध राशि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी स्थल से सम्बद्ध किये गये प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बीचड़ा उपयोग के सत्यापन के आधार पर संबंधित कृषक/क्रेता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

10. एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में धान रोपनी हेतु बीचड़ा उपलब्ध कराया जा सकेगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास कलस्टर में किया जाएगा तथा एक कलस्टर का न्यूनतम रकवा 5 (पाँच) एकड़ होगा। नर्सरी स्थल के चयन में इच्छुक लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नर्सरी उत्पादक को नर्सरी विकास एवं बीचड़ा वितरण से संबंधित किसानों का लेखा संधारण हेतु स्थल पंजी संधारित किया जायेगा तथा इसका पृष्ठ सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. नर्सरी विकास हेतु स्थानीय परिस्थिति के आलोक में अल्प अवधि अथवा मध्यम अवधि के प्रभेदों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परामर्शानुसार किया जाएगा तथा इससे संबद्ध किये गये किसानों के पसंद एवं स्थान विशेष के लिये अधिक उपलशील लोकप्रिय प्रभेद को प्राथमिकता दी जाएगी। बीज एवं अन्य उपादान की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

13. नर्सरी ऊँचे स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधायुक्त होगा ताकि नर्सरी स्थल बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा अथवा सुखाड़ से प्रभावित नहीं हो। नर्सरी तैयारी से पूर्व इच्छुक कृषकों को लक्ष्यानुसार संबद्ध किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये क्रमशः 16% एवं 1% आरक्षण के अनुसार राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। बाढ़ अथवा सुखाड़ के फलस्वरूप बीचड़ा क्षति से प्रभावित कृषकों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाएगी।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन एवं बटाई पर जोत करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य शेष रहने पर लघु एवं सीमान्त कृषक को वरीयता दी जाएगी तथा अंत में शेष लक्ष्य मध्यम एवं बड़े कृषक से पूरा किया जा सकेगा।

15. नर्सरी तैयार करने वाले को उक्त बीचड़ों का स्वयं उपयोग करने की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी नर्सरी स्थल क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड़ कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को संबद्ध करेगें तथा दायित्व का निर्धारण करेंगे।

16. योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जबावदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। योजना एवं नर्सरी स्थल का व्यापक प्रचार–प्रसार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आत्मा के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने जिलों में उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सघन पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुनिश्चित करायेगें।

18. नर्सरी स्थल से संबद्ध किये गये पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित रूप से नर्सरी स्थल, स्थल पंजी, बीचड़ा वितरण एवं रोपनी स्थल का निरीक्षण कर जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा।

19. संबंधित किसान सलाहकार अथवा कृषि समन्वयक द्वारा इच्छुक कृषकों से विहित प्रपत्र (अनुसूची–II के अनुसार) में आवेदन प्राप्त कर रोपनी हेतु खाली स्थल के सत्यापन उपरान्त स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा।

20. बीचड़ा वितरण से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र (अनुसूची–III के अनुसार) में स्थल पंजी में बीचड़ा उत्पादक द्वारा संधारित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आकस्मिकता मद से नर्सरी स्थल पर प्रदर्शन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापित स्थल पंजी तथा आवेदन पत्र एवं पंजी संधारण से संबंधित प्रपत्र बीचड़ा उत्पादक को उपलब्ध कराया जाएगा।

21. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी उत्पादन एवं बीचड़ा वितरण से लाभान्वित कृषकों की सूची जिला में एन0आई0सी0 के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा।

22. इस योजना के लिये पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश उपर्युक्त निदेश के अनुसार संशोधित एवं प्रभावी माना जायेगा तथा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा अतिरिक्त संशोधन/समावेश किया जा सकेगा।

23. बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड– 01– 2401001090106,विषयशीर्ष–0106.33.01–सब्सिडी	8147.00	777.41
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्रकोड–01 –2401007890106,विषयशीर्ष–0106.33.01–सब्सिडी	1680.00	149.86
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0134–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड– 01– 2401007960134,विषयशीर्ष–0134.33.01–सब्सिडी	88.00	9.37
कुल	**9915.00**	**936.64**

24. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के अधार पर की जायेगी।

25. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 एवं 2199 दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 22.05.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–18/2016 के पृ0सं0– 110/प0 पर प्राप्त है।

26. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

27. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–18/2016 के पृ0सं0–25/टि0 पर दिनांक 05.06.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.6.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\SAMUDAYIK NARSARI STHAI VIT SAMITI 2017-18.doc

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2358 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।